बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TINVAT NO-10011255025 CIN-U74110BR2012SGC018889

Website:www.bsptcl.inc.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं0 – 2417 / पटना, दिनांक 23/12/21

T-III/Legal/DP-35001/2019

श्री मनोज कुमार (E00172), विधि पदाधिकारी, कम्पनी मुख्यालय के विरूद्ध कर्तव्य की अवहेलना एवं घोर कदाचार के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–2040 दिनांक–29.06.2019 द्वारा श्री मनोज कुमार, विधि पदाधिकारी, कम्पनी मुख्यालय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

1. CWJC No. 14186/2015, MJC No.-6769/2017 अशोक कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में, विधि से संबंधित नीतिगत मामले वाली संचिका को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किए माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ दायर करने हेतु भेजी गयी, जो कम्पनी द्वारा निर्गत निदेश की स्पष्ट अवहेलना है। वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के बावजूद, मामले के प्रति आपके स्तर से अत्यंत शिथिल एवं उदासीन रवैया अपनाया गया, फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी हित के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया। यह घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।
2. संचरण टावर/लाइन निर्माण से संबंधित प्रासंगिक विधि नियमों के संदर्भ में उचित परामर्श एवं अपना स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया गया, फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय से सही ढंग से मामले पर कम्पनी का पक्ष नही रखा गया, यह आपके कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है।
3. मुख्य अभियंता (परियोजना–I) कम्पनी मुख्यालय के स्तर से संचिका संख्या–T-III/Legal/Alleg-35001/19 आपको दिनांक–16.04.2019 को पृष्ठांकित की गयी थी, परंतु आपके द्वारा उक्त संचिका करीब $2^{1/2}$ (ढाई) माह पश्चात दिनांक–28.06.2019 को उपमहाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0) को लौटायी गयी। इससे स्पष्ट है कि आप जानबूझकर इस मामले में अनावश्यक विलम्ब करना चाहते थे। आपका उक्त आचरण अनुशासनहीनता एवं गैर जिम्मेवारना रवैया का परिचायक है।

उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत विशेष सचिव, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संबंधी जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर अपने पत्रांक–06 दिनांक–16.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित कार्यालय को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी 03 (तीन) आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

तदोपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध उक्त आंशिक रुप से प्रमाणित आरोपों के लिए इस कार्यालय के संकल्प संख्या–548 दिनांक–15.02.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री मनोज कुमार, विधि पदाधिकारी द्वारा दिनांक–06.03.2020 को उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्यतय निम्न बातों का उल्लेख किया गया है:–

(कृ0पृ0उ0)

(11)

- प्रपत्र 'क' में चिन्हित अभिलेख को किसी अभियोजित गवाह द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया, अतः वे legal evidence नहीं है।
- प्रतिशपथ पत्र मेरे पदभार ग्रहण (दिनांक–25.05.2016) से पूर्व दिनांक–19.02.2016 को दाखिल किया जा चुका था।
- प्रासंगिक मामले में पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त कर, बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल को कम्पनी का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।
- मामला daily cause list में चढ़े होने के कारण, अधिवक्ता को मामले से संबंधित संचिका उपलब्ध करायी गयी थी, ताकि कोर्ट में अभिलेख की जरूरत पड़ने पर तुरन्त अनुपालन किया जा सके। इस कारणवश संबंधित संचिकाएँ प्रशासनिक विभाग को नहीं लौटायी जा सकी।
- जाँच पदाधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि गवाहों की गवाही/प्रतिपरीक्षण नही हो सका, अतः आरोप की पूर्ण रूपेण पुष्टि मुमकिन नही है।

आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि संदर्भित मामले में प्रति शपथ पत्र दायर करने में श्री कुमार की अहम भूमिका नही थी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मामले में प्रतिकूल आदेश पारित होने की मुख्य वजह संबंधित अधिवक्ता द्वारा कम्पनी का पक्ष सही ढंग से नही रखना रहा है। उपरोक्त तथ्यों से आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप संख्या–01 एवं 02 अंशतः ही प्रमाणित होता है। हॉलाकि आरोप संख्या–03 के संबंध में आरोपी का जवाब पूर्णतः संतोषजनक नही पाया गया है। लेकिन चूँकि अभियोजन पक्ष के नामित गवाहों के द्वारा आरोप का सत्यापन नही कराया जा सका; अतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपो से मुक्त करने एवं भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी निर्गत करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतः श्री मनोज कुमार, विधि पदाधिकारी कम्पनी मुख्यालय को भविष्य में सचेत रहकर कार्य करने की चेतावनी दी जाती है।

आदेशः– श्री मनोज कुमार, विधि पदाधिकारी कम्पनी मुख्यालय बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को इस आदेश की हस्ताक्षरित प्रति हस्तगत करा दी जाय।

आदेश से,
ह0/–

(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक – _____/ पटना, दिनांक– _____/

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक (प्रशासन) के आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक – 2418/ पटना, दिनांक– 23/12/21

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/उप विधि परामर्शी/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/डाटा बेर्स एडमिनिस्ट्रेटर/ लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतन पर्ची), एवं श्री मनोज कुमार, विधि पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि इस आदेश की हस्ताक्षरित प्रति को कंपनी के बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

23.12
(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)